तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
2-2-18	पत्रावली पेश हुई। दस्तावेज परीक्षण उपरांत। वाद कथन के संबंध निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पालना हेतु पत्रावली दिनांक 9-2-18 को पेश हो।
9-2-18 OK	पत्रावली पेश हुई। स्थानीय कार एक्जीक्यूशन के द्वारा कार्य का संचालन किया जाता है P.O. काफी दूर राजकीय कार्य के अधिकता की वजह से आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 12-2-18 को पेश हो। P.O.
12-2-18	पत्रावली पेश हुई। दस्तावेज परीक्षण उपरांत। वकील प्रार्थी के तर्क के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इजाजत की। जबकि वकील विपक्षीगण प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई जवाब भी उपलब्ध नहीं किया, और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही उपलब्ध की है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इजाजत की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित रामाडिया उदा डा० सूला जी के खातेदारी काश्तकार अर्थात् इसका खातेदार लहसीन व जिला नीलवाड़ा में निवास होकर उदा डा० सूला जी के खातेदारी काश्तकार की दर्ज केफियत थी। जिसकी तायद उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल संवत 2055 के 2058 के होती है, जरिये इंतकाल नं० 254 दिनांक 18-11-2002 के द्वारा उदा के फौत होने के बारिसान वहन देख, जानी DIO सूला जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी तायद उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल संवत 2063 के 2074 के होती है। उदा डा० सूला जाट के प्रार्थी के पक्ष में एक दस्तीयत नामा लिखाकर दिया। जिसकी तायद उपलब्ध दस्तीयत नामा की फोटो प्रति के होती है। उपलब्ध दस्तावेजों के नकलों के विवादित रामाडिया उदा डा० सूला के नाम दर्ज हुई।
2063 से 2066	

उपखण्ड अधिकारी
नीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

पुत्र डा० सूमा जाट की ओर से प्रस्तुत किया है कि विवादित खातेदारी भूमि कुल जिला 3 रहका 4 बीघा 10 बिस्वा खाती पर करीब 1/2 हक व हिस्सा दोनों बहिनों का तथा 1/2 हिस्सा नाराम का रहेगा। काश्त दोनों बहिनों द्वारा मेवे सब्जी व नागरिक किसानों व नूराना आदि का खर्चा वही दिये जाने पर जमीन नाराम० डा०पे० जाट के हिस्से में रहेगी। क्योंकि वर्तमान में विवादित खातेदारी इकाई के फौत होने पर उसके वारिसान बहन देव, पत्नी D10 सूमा जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति जारी किये जाने बाबत 254 दिनांक 16-1-02 के द्वारा दी गई है कि विपत्री सं० 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड पर दर्ज है जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व कार्यालय जमाबंदी की नकल अवधि 2021 से 2024 की होली है। क्योंकि विवादित खातेदारी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिसके प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। किन्तु स्वतः विपत्री सं० 1 व 2 के नाम दर्ज होने से प्रार्थी बेदखल करने, रहन कार्यवाही करने पर आमादा हो अगर प्रार्थी को बेदखल कर देवें तो प्रार्थी को अपरिमित हानि होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हितों की रक्षा में रखते हुए विपत्री गण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है क्योंकि विपत्रीगण को प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को। कोर्ट कार्य में व्यस्त रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाप्ता कार्यवाही तहसील व जिला शीलवाड़ा में स्थित हाल बाशाखी सं० 331, 339, 340 कुल जिला 3 रहका 4 बीघा 10 बिस्वा खाती में से प्रार्थी को बेदखल नहीं करने देवे विपत्रीगण के विरुद्ध इस वाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षावली में कायम रखवाने की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
शीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner